



BAGHPAT POLICE



सर्विलांस सैल

अगस्त 2022

सर्विलांस सैल जनपद बागपत ने 15 गुमशुदा मोबाइल फोन किये बरामद—

सर्विलांस सैल जनपद बागपत द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत गुमशुदा मोबाइल फोन के प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही करते हुए 15 गुमशुदा मोबाइल फोन (कीमत लगभग 02 लाख रुपये) बरामद किया गया। मोबाइल मिलने पर आवेदकों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई।

क्र०स०	प्रा०पत्र सं०	मोबाइल धारक का नाम व पता
1	गुमशुदा	स्वाति, थाना सरधना मेरठ।
2	गुमशुदा	प्रवेश, ग्राम गढ़ी कलंजरी थाना खेकड़ा।
3	गुमशुदा	कुलदीप कुमार, ग्राम माखर थाना बिनौली।
4	गुमशुदा	मिन्टू कश्यप, ग्राम मुकीमपुर थाना बिनौली।
5	गुमशुदा	संजय सैनी, कस्बा व थाना बड़ौत।
6	गुमशुदा	आशू, ग्राम लुहारा थाना बड़ौत।
7	गुमशुदा	कामिनी भारद्वाज, थाना चांदीनगर।
8	गुमशुदा	अब्दुल, ग्राम असारा थाना रमाला।
9	गुमशुदा	अमित, जनपद मेरठ।
10	गुमशुदा	वीरेन्द्र, पोस्टमैन थाना बड़ौत।
11	गुमशुदा	अक्षय, ग्राम बिहारीपुर थाना बागपत।
12	गुमशुदा	जाहिद, ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर।
13	गुमशुदा	राहुल, ग्राम किरठल थाना रमाला।
14	गुमशुदा	विकास सैनी, कस्बा व थाना बागपत।
15	गुमशुदा	इरफान, कस्बा व थाना बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 08.08.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-इमरान उर्फ बिगाडू पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2.अमित उर्फ भाडू पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर ।
- 02 अवैध जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

अभियुक्त इमरान उर्फ बिगाडू का आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 779/22 धारा 3/25 A.ACT थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 216/22 धारा 3/25 A.ACT थाना कोतवाली खेकड़ा जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 23/17 धारा 25 A.ACT थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 76/17 धारा 379 IPC थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

5-मु0अ0सं0 1123/18 धारा 379/411 IPC थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

6-मु0अ0सं0 1242/18 धारा 4/25 A.ACT थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

7-मु0अ0सं0 3/17 धारा 379/411 IPC थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

8-मु0अ0सं0 53/17 धारा 392/411 IPC थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

9-मु0अ0सं0 57/17 धारा 102/41 CrPC व 411/414/420 IPC थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

10-मु0अ0सं0 145/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

अभियुक्त अमित उर्फ भाडू का आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 780/22 धारा 3/25 A.ACT थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 214/22 धारा 3/25 A.ACT थाना कोतवाली खेकड़ा जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 01/21 धारा 3/25 A.ACT थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 24/17 धारा 25 A.ACT थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

5-मु0अ0सं0 1192/17 धारा 18/20 NDPS ACT थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 वीर सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 179 सचिन थाना कोतवाली बागपत ।

3-का0 817 राहुल सोलंकी थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना खेकडा

दिनांक 08-08-2022

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 शातिर मोबाइल फोन चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 10 मोबाइल फोन व एक मो0सा0 बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर मोबाइल फोन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये हुए 10 मोबाइल फोन व एक मो0सा0 बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- रिहान पुत्र असगर निवासी म0न0-74 गली न0-1 मौहल्ला प्रेमनगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
- 2- इसरार पुत्र नूरमौहम्मद निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

चोरी किये हुए 10 मोबाइल फोन-

- चोरी का एक मोबाइल फोन (एप्पल कम्पनी)।

- चोरी का एक मोबाइल फोन (ओप्पो कम्पनी) ।
- चोरी के 02 मोबाइल फोन (रियलमी कम्पनी) ।
- चोरी के 02 मोबाइल फोन (एमआई कम्पनी) ।
- चोरी के 02 मोबाइल फोन (वीवो कम्पनी) ।
- चोरी के 02 मोबाइल फोन (सैमसंग कम्पनी) ।
- एक मोटरसाइकिल पेशान लाल रंग ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री मयंक प्रताप सिंह
- 2- है०का० 360 महेन्द्र सिंह
- 3- का० 217 राधेश्याम सिंह



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 08.08.2022

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 214/22 धारा 363/376डी/323/506
भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के 214/22 धारा 363/376डी/323/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. टिन्कू पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री महीलाल सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

2- का0 19 सोनित ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 08.08.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 578/22 धारा 379/411 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 07 मीटर विद्युत केबल एवं मोटर व पंखा बेचकर प्राप्त रूपयों में से 500/ रूपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.06.22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री मुकेश पुत्र श्री महेन्द्र निवासी ग्राम खुब्बीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद ने सूचना दी कि दिनांक 04/06/22 को अभियुक्त 1. साहिल 2. मुस्तकीम 3. इरशाद 4. बच्ची निवासीगण ग्राम खुब्बीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने बुआई पर ली हुई जमीन पर उसकी ट्यूबैल से एक पंखा, एक मोटर व एक विद्युत केबल चोरी कर लिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 578/22 धारा 379 भादवि पंजिकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के 578/22 धारा 379/411 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 07 मीटर विद्युत केबल एवं मोटर व पंखा बेचकर प्राप्त रूपयों में से 500/ रूपये नगद बरामद हुये है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त बच्ची उर्फ शाहरूख के 03 साथियों को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. बच्ची उर्फ शाहरूख पुत्र यामीन निवासी ग्राम खुब्बीपुर निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण –

- चोरी किया हुआ 07 मीटर विद्युत केबल।
- मोटर व पंखा बेचकर प्राप्त रूपयों में से 500/ रूपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री वीर सिंह थाना कोतवाली बागपत
- 2-का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत
- 3.का0 817 राहुल सोलंकी थाना कोतवाली बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 09.08.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 742/22 धारा 452/354/323/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 742/22 धारा 452/354/323/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-विपिन पुत्र सोहनवीर उर्फ छोटा निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उपनि0 श्री विनोद कुमार कोतवाली बागपत ।
- 2-है0का0 340 ब्रेशपाल थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 08.08.2022

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0

711/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-धर्मवीर पुत्र रामबीर निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री सतीशचन्द थाना बडौत जनपद बागपत
- 2- का० 1043 सुनील यादव थाना बडौत जनपद बागपत
- 3- है०का० 217 सेवाराम डायल 112 जनपद बागपत
- 4- का० 176 अमित डायल 112 जनपद बागपत
- 5- का० 52 हितेश डायल 112 जनपद बागपत



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनाँक 08.08.22

**थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 227/22 धारा
452/307/147/148/323/324/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 06.08.22 को थाना छपरौली पर वादी अंकित पुत्र पालेराम निवासी ग्राम तिलवाडा थाना छपरौली ने सूचना दी की अभियुक्त

1. कविन्द्र पुत्र भगवानदास
2. हवापाल पुत्र किरणपाल
3. देवेन्द्र पुत्र भगवानदास
4. सुरेन्द्र पुत्र भगवानदास
5. भगवानदास पुत्र सीताराम
6. महिपाल पुत्र सीताराम
7. सतीश पुत्र सीताराम
8. आल्लू पत्नि सुरेन्द्र
9. पूजा पत्नि सतीश
10. नितिन पुत्र महिपाल



समस्त निवासीगण ग्राम तिलवाडा थाना छपरौली जनपद बागपत के द्वारा वादी व वादी के परिजनो के साथ एक राय होकर जान से मारने की नीयत से घर में

घुसकर मारपीट कर घायल कर देना व जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 227/22 धारा 452/307/147/148/323/324/506 भादवि में पंजीकृत किया था । थाना हाजा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 227/22 धारा 452/307/147/148/323/324/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. कविन्द्र पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम तिलवाडा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री राजकुमार गौतम थाना छपरौली।
- 2- का0 1028 मुरली थाना छपरौली।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 08.8.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

1-दीपक पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम खिंदौडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना सि0अहीर
- 2- है0का0 378 बलराज सिंह थाना सि0अहीर